भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 301
(जिसका उत्तर सोमवार, 05 फरवरी, 2024/16 माघ, 1945 (शक) को दिया गया)

डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून

301. श्री एस. जगतरक्षकनः
डॉ. टी.आर. परिवेन्धरः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस विचार से सहमत है कि डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून में स्व-विनियमन और दक्षता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और इसने सभी कारपोरेटों/कंपनियों को सर्वोत्तम पद्धतियों/तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने और सक्षम बनाने के लिए कोई विशेष प्रयास किए हैं ताकि वे इस कानून को अपनाने या उसका अनुपालन करने के लिए डिजिटल बाजार विकसित करने में सक्षम हो सकें; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का विचार है?

उत्तर
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)
(क) और (ख): भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) अपने हिमायत अधिदेश के तहत, हितधारकों को स्व-विनियमन सलाह जारी करता है, जहां इसे, इसके बाजार अध्ययन निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक समझा जाता है। डिजिटल क्षेत्र में, दो क्षेत्रों, अर्थात् ई-कॉमर्स क्षेत्र और कैब-एग्रीगेटर उद्योग में स्व-विनियमन सलाह जारी की गई हैं।

सीसीआई द्वारा भारत में ई-कॉमर्स के कामकाज और बाजारों और प्रतिस्पर्धा के लिए इसके निहितार्थ को बेहतर ढंग से समझने के उद्देश्य से भारत में ई-कॉमर्स पर एक बाजार अध्ययन शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ई-कॉमर्स से उभरने वाली प्रतिस्पर्धाओं, यदि कोई हो, की पहचान करना और उसी के प्रकाश में आयोग की प्रवर्तन और हिमायत प्राथमिकताओं का पता लगाना भी था। रिपोर्ट में ई-कॉमर्स

मार्केटप्लेस प्लेटफार्मों द्वारा स्व-नियमन के लिए कुछ क्षेत्रों की गणना की गई है। आयोग ने अपने हिमायत अधिदेश के तहत ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों से सर्च रैंकिंग, संग्रह, डेटा का उपयोग और साझाकरण, उपयोगकर्ता समीक्षा और रेटिंग तंत्र, अनुबंध शर्तों में संशोधन, पारदर्शी छूट नीति आदि जैसे पारदर्शिता उपायों को लागू करने का आग्रह किया।

सीसीआई ने 'सर्ज प्राइसिंग' की अपनी नीति के विशेष संदर्भ के साथ, ऑनलाइन कैब एग्रीगेटर्स से संबंधित प्रतिस्पर्धा और नियामक मुद्दों का विश्लेषण करने के लिए अध्ययन भागीदार के माध्यम से एक बाजार अध्ययन भी किया है। अध्ययन की सिफारिशों के आधार पर, सीसीआई ने अपने हिमायत अधिदेश के हिस्से के रूप में, सूचना विषमता और पारदर्शिता चिंताओं को दूर करने के लिए स्व-नियामक उपायों को अपनाने के लिए कैब एग्रीगेटर्स को सलाह जारी की।

इसके अतिरिक्त, बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं पर वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों पर, भारत सरकार ने डिजिटल बाजारों में प्रतिस्पर्धा पर एक अलग कानून की आवश्यकता की जांच करने के लिए 06.02.2023 को डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून (सीडीसीएल) पर एक समिति का गठन किया है। सीडीसीएल के विचारार्थ विषयों (टीओआर) में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं, (क) यह समीक्षा करना कि क्या प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम डिजिटल अर्थव्यवस्था से उभरी चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त हैं; (ख) एक अलग कानून के माध्यम से डिजिटल बाजारों के लिए एक प्रत्याशित नियामक तंत्र की आवश्यकता की जांच करना; (ग) डिजिटल बाजारों के क्षेत्र में विनियमन पर अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करना; (घ) डिजिटल बाजारों में प्रतिस्पर्धा के संबंध में अन्य नियामक व्यवस्थाओं/संस्थागत तंत्रों का अध्ययन करना; (ड़) अग्रणी प्लेयरों/प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण डिजिटल मध्यस्थों ('एसआईडीआईएस') की प्रथाओं का अध्ययन करना जो डिजिटल बाजारों में नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं या उन्हें सीमित करते हैं; और (च) डिजिटल बाजारों में प्रतिस्पर्धा से संबंधित कोई अन्य मामले जो समिति द्वारा प्रासंगिक माने जा सकते हैं।

****